कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. –0755–2970310

(कैन्टीन संचालन हेतु ई–निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्ते)

1 पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल के 150 बिस्तरीय चिकित्सालय मे भर्ती (अंतरंग) रोगियों हेतु भोजन व्यवस्था म0प्र0शासन द्वारा निधारिंत दर पर उपलब्ध कराने हेतु किराये पर **कैन्टीन संचालन** की ई–निविदा आंमत्रित की जाती है।

2 ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25.11.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक है, तथा ई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 25.11.2020 को सांयः 05.00 बजे तक हैं, । ई–तकनीकी निविदा महाविद्यालय में दिनांक 28.11.2020को दोपहर 02.00 बजे एवं वित्तीय निविदा दिनांक को 28.11.2020 सायं 04.00 बजे mptender.gov.in से डाउनलोड की जावेगी।

3. ई–निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है, निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा एल–02 निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा।

4. ई–निविदा ऑनलाइन mptender.gov.in से ई–निविदा राशि रू. 1000/– का भुगतान कर प्राप्त कर सकते है, जिसको mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक आनलाइन ही सबमिट की जाना है ।

5. ई.एम.डी. राशि रूपये 50000/– (रूपये पचास हजार मात्र) जिसे ई–पेमेन्ट के माध्यम से mptender.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार की अनुबध होने पर वापस की जावेगी ,शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptender.gov.in के माध्यम से वापस लौटा दी जावेगी । सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबध राशि के 5 से 10 प्रतिशत तक) बैक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान में जमा करना होगा निष्पादन प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के अनुबध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी।

6. निविदाकर्ता फर्म को किचन, स्टोर रूम, डायनिंग हॉल, वास एरिया उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी। जिसका (कैन्टीन) वर्तमान किराया 13553.00 प्रतिमाह है । निविदाकारों को वर्तमान किराये से कम किराया राशि निविदा में अंकित करने की अनुमति नहीं होगी । वर्तमान किराये से कम किराया राशि वाले निविदाकार की निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी । अग्रिम किराया प्रतिमाह की 07 तारीख तक महाविद्यालय के लेखा कक्ष मे जमा कराना अनिवार्य होगा। किराया समय–सीमा मे जमा न करने की स्थिति में 15 प्रतिशत अधिभार लिया जावेगा ।

7 निविदाकार फर्म को 100–150 शैयया युक्त शासकीय चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की भोजन व्यवस्था संचालन का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है जिसका प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

8. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019–20 का टर्न ओवर न्यूनतम 06 लाख होना आवश्यक है , जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

9. GST पंजीयन पत्र की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

10. पैन नंबर की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

11. **खाद्य एवं औषधि प्रशासन म0प्र** फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार निविदिाकर्ता फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य होगा । पंजीयन की प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

12 निविदाकार फर्म जीवित गुमास्ता संबधित कार्य का होना आवश्यक है । गुमास्ता की प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

13 सफल निविदाकर्ता को म0प्र0स्टांप अधिनियम के प्राबधानों अनुसार निधारिंत राशि के नान ज्युडीशियल स्टांप पर किरायेदारी का अनुबंध एवं 01 माह की किराया राशि अग्रिम मे जमा करनी होगी । प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल से आदेश प्राप्त होने में उल्लेखित तिथि से भोजन व्यवस्था प्रारंभ करनी होगी।

14. निविदा /अनुबंध कार्य आदेश तिथि से (05)पांच वर्ष के लिए होगी। जो कि प्रतिवर्ष कार्य संजोषजनक होने पर तदसमय प्रचलित किराये में 10 प्रतिशत किराया राशि की बृद्धि से साथ निरंतर की जायेगी । कार्य संतोषजनक न होने व निविदा की शर्तो का पालन न करने की स्थिति में समय से पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

15. कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण बायोडाटा संस्था में प्रस्तुत करना होगा यदि किसी कार्यरत कर्मचारियों का बदलाव निविदाकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसकी तत्काल सूचना संस्था प्रमुख को लिखित में पूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

16. निविदाकर्ता द्वारा भोजन व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों से संबंधित नियमानुसार बीमा दुर्घटना क्षति पूर्ति आदि की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

17. भोजन व्यवस्था से संबंधित सामग्री की गुणवत्ता/सेवा में कमी/निविदा शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य पर्याप्त कारणों से बिना सूचना के अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल को होगा।

18. निविदाकर्ता को भोजन व्यवस्था संस्था द्वारा निर्धारित स्थल (कैन्टीन) पर ही तैयार कर म0प्र0शासन द्वारा निधार्रित डाइट चार्ट (प्रपत्र –03अनुसार) रोगियों को संस्थान द्वारा निधार्रित समय पर बेड–टू–बेड उपलब्ध कराना होगा ।

19. भोजन के लिए प्रयुक्त सामग्री मानक स्तर संलग्न सूची अनुसार (प्रतिष्ठित ब्राण्ड/एगमार्क/आईएसआई) की होना अनिवार्य है ।

20. सब्जियॉ ताजी होना चाहिये जिसका निरीक्षण संस्थान के अधिकारियों द्वारा किया जावेगा। भोजन एवं नाश्ता प्रतिदिन ताजा तैयार कर प्रदाय करना होगा, बचे हुए नाश्ता भोजन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में आगामी दिवस में उपयोग मान्य नहीं होगा।

21. रसोई गैस (वाणिज्यक/कमर्शियल) चुल्हाभटटी आदि की व्यवस्था एवं उनसे संबंधित सुरक्षा निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी, (लकड़ी,चूल्हा एवं हीटर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा) भोजन निर्माण से लेकर रोगियों को भोजन परोसने की समस्त व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करना होगी।

22. रोगियों को प्रदाय किये जाने वाले भोजन,दूध एवं नास्ते की मात्रा म0प्र0शासन द्वारा निधार्रित डाइट चार्ट (प्रपत्र –03) अनुसार होगीं , जिसकी राशि का भुगतान म0प्र0शासन द्वारा निधार्रित दर पर बजट आबंटन होने पर महाविद्यालय द्वारा किया जावेगा । जोकि वर्तमान में 40.00 रु प्रति रोगी प्रति दिन के मान से निधार्रित है । दरों में म0प्र0शासन आयुष विभाग द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले सशोधनों को दोनो पक्षों को मान्य करना होगा ।

23. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध जारी रखने में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो कम से कम एक माह पूर्व संस्था को सूचित करना आवश्यक होगा अन्यथा संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी। व निविदा एल–02 फर्म की मान्य कर अनुबध की कार्यवाही की जावेगी ।

24. निविदाकर्ता को किराये की राशि **केवल ई–वित्तीय निविदा की एक्सल शीट में शब्दों एवं अंको में अंकित करना है** । शब्दों एवं अंको की राशि में अंतर की स्थिति में शब्दों में अंकित राशि को मान्य किया जावेगा ।

25. भोजन की गुणवत्ता/स्वाद/मीनू अनुसार भोजन प्रदाय न करना/वासी भोजन का उपयोग करना या अन्य किसी कारण से यदि संस्था से कोई चेतावनी पत्र जारी होता है, तो वह अंतिम होगा जिसके निराकरण की सीमा 03 दिवस होगी। व्यवस्था होने या कुछ दिन उपरान्त पुनः वही स्थिति निर्मित होने पर बगैर सूचना के अनुबंध निरस्त किया जावेगा, तथा सम्पूर्ण धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी, साथ ही निविदाकर्ता फर्म का नाम काली सूची में अंकित कर भविष्य मे निविदा मे भाग लेने से वंचित किया जावेगा।

26. डिफाल्टर फर्म (तात्पर्य वह फर्म जिसे अनुबंध अवधि के पूर्व शर्तो के उल्लंधन के कारण अनुबध समाप्त किया गया हो) आगामी निविदा प्रकिया मे भाग नहीं ले सकेगी।

27. निविदाकार को केवल लाइट, कूलर ,पंखे, ग्राइन्डर, एवं फ्रिज चलाने हेतु बिजली प्रदाय की जावेगी जिसका शुल्क सब मीटर की रीडिगं के आधार पर संस्था द्वारा निर्धारित किया जावेगा। उसका भुगतान निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रतिमाह लेखा कक्ष संस्थान में जमा करना होगा ।

28. भारत सरकार वित मत्रांलय के राजस्व एवं टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जारी जी.एस.टी.संबधित दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

29. संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

30. प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल विशेष परिस्थिति में अनुबधित अबधि बर्ष से पूर्व भी 01 माह पूर्व नोटिस देकर या नोटिस कैन्टीन पर चस्पा कर कैन्टीन खाली कराना चाहे तो बिना विवाद किये कैन्टीन खाली कर आधिपत्य सौपना होगा ।

31. कैन्टीन प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल की परिसंम्पति होगी ,मात्र अनुबध अनुसार उपयोग करने का अधिकार होगा ।

32. कैन्टीन हेतु किये जाने बाले अनुबध,पंजीयन स्टांप आदि व्यय का वहन स्वयं सफल निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा ।

33. निविदाकर्ता को प्राप्त होने वाली आय पर टैक्स,सरचार्ज,सेवाकर आदि का भुगतान स्वयं करना होगा ।

34. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिये इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

35. किसी भी निविदा की समयावधि /स्थान /समय मे परिवर्तन करना /निविदा को स्वीकृत करने एवं अस्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल को होगा ।

36. प्रपत्र–04 अनुसार शपथ पत्र को तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

37. अनुबंध अबधि में कैन्टीन मे होने वाली टूट–फूट की मरम्मत रंग रोगन का कार्य निविदाकार फर्म को कराना होगा लेकिन किसी भी स्थिति में कैन्टीन की मूल अद्योसंरचना मे निविदाकार परिवर्तन नही कर सकेगा ।

38. ई–तकनीकी निविदा में अपलोड समस्त दस्तावेजो की स्वः हस्ताक्षरित प्रति तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक को निधार्रित समय/स्थान पर प्रस्तुत करने होगे ।

39. संलग्न चैक लिस्ट अनुसार दस्तावेजो को तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक है। चैक लिस्ट के सरल क्र–01 से 09 तक के अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा का परीक्षण किया जावेगा । इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।

40. महाविद्यालय संस्थान चिकित्सालय मे वर्तमान मे 150 बिस्तरीय अंतरंग रोगियों की अनुमति है। निविदा/अनुबध अबधि में अंतरंग रोगियों की बेड संख्या में सशोधनों को दोनो पक्षों को मान्य करना होगा ।

41. तकनीकी निविदा के परीक्षण मे सफल निविदाकारो की ही वित्तीय निविदाये खोली जावेगी । वित्तीय निविदा अनुसार अधिकतम किराया आफर करने वाले निविदाकार को कैन्टीन का आवंटन निधार्रित शर्तो के अधीन किया जावेगा ।

42. किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल म॰प्र॰ होगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(कैन्टीन संचालन हेतु तकनीकी ई–निविदा का प्रपत्र –01)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम---

2. फर्म के मालिक का नाम-------------------------- पिता का नाम---------------

3 वर्तमान निवास का पता--

4 दूरभाष / मोबाईल नम्बर---

5 GSTIN NO.---

6 जीवित गुमास्ता नं...दिनांक ....

7. पैन कार्ड न..

8 ई.एम.डी. राशि अंको में.....................................शब्दो में-----------------

(ई.एम.डी.राशि ई–प्रिटेड प्रति तकनीक निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना होगा)

9. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019–20 का टर्न ओवर न्यूनतम 06 लाख होना आवश्यक है , जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है । **संलग्न हॉ / नहीं**

10. खाद्य एवं औषधि प्रशासन म0प्र0 फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार निविदिाकर्ता फर्म का जीवित पंजीयन एवं गुमास्ता संबधित कार्य का होना आवश्यक है । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना होगा । **संलग्न हॉ / नहीं**

11. निविदाकार फर्म को 100–150 शैयया युक्त शासकीय चिकित्सालय में भर्ती(आंतरिक) रोगियों की भोजन व्यवस्था संचालन का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है जिसका प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना होगा । **संलग्न हॉ / नहीं**

12. प्रपत्र–04 अनुसार शपथ पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना होगा । **संलग्न हॉ / नहीं**

13 .निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिऐ इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान जुडिशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । **संलग्न हॉ / नहीं**

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम-----------------

खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(कैन्टीन संचालन हेतु वित्तीय ई–निविदा का प्रपत्र –02)

कैन्टीन संचालन हेतु किराया प्रतिमाह :–

राशि अको में.....................................शब्दों में.................................

नोटः– उक्त प्रपत्र प्रारुप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार किराया राशि को ई–वित्तीय निविदा ऑनलाइन mptender.gov.in की एक्सल शीट BBQ मे ही दर्ज करना है ।

अन्य भर्ती मरीजों हेतु डाईट चार्ट प्रपत्र-03

डाईटचार्ट–सोमवार/गुरूवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा
नाश्ता 9.00 से 9.30 बजे	दूध, पोहा/उपमा	1 ग्लास (250 एम एल)
भोजन 1.30 से 2.00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)
	रोटी	3–4 नग (35 ग्राम)
	स्थानीय स्तरपरउपलब्ध हरीसब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)
	नमकीनदलिया	1 कटोरी (100 ग्राम)
संध्या 3.30 से 4.30 बजे	चाय	1 कप (125 एम.एल.)
	बिस्किट	4 नग
रात्रि भोजन 8.00 से 8.30 बजे	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)
	स्थानीय स्तरपरउपलब्ध हरीसब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर, मूंग, खडे मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)

डाईटचार्ट–मंगलवार/शुक्रवार/रविवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा
नाश्ता 9:00 से 9:30 बजे	दूध, टोस्टरस्क, दलिया	1 ग्लास (250 एम.एल.)
भोजन 1.30 से 2.00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)
	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)
	स्थानीय स्तरपरउपलब्ध हरीसब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)
	चावल	1 कटोरी (150 ग्राम)
संध्या 3.30 से 4.30 बजे	चाय	1 कप (125 एम.एल.)
	बिस्किट	4 नग
रात्रि भोजन 8.00 से 8.30 बजे	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)
	स्थानीय स्तरपरउपलब्ध हरीसब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर, मूंग, खडे मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)

डाईटचार्ट–बुधवार/शनिवार

समय	सामग्री	अनुमानित मात्रा
नाश्ता 9:00 से 9:30 बजे	दूध, दलिया	1 ग्लास (250 एम.एल.)
भोजन 1.30 से 2.00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)
	रोटी	3–4 नग (120 ग्राम)
	स्थानीय स्तरपरउपलब्ध हरीसब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर, मूंग, खडे मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)
	नमकीनदलिया	1 कटोरी (150 ग्राम)
संध्या 3.30 से 4.30 बजे	चाय	1 कप (125 एम.एल.)
	बिस्किट	4 नग
रात्रि भोजन 8.00 से 8.30 बजे	रोटी	3–4 नग (100 ग्राम)
	स्थानीय स्तरपरउपलब्ध हरीसब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि)	1 कटोरी (100 ग्राम)
	दाल (अरहर, मूंग, खडे मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)

Scanned with CamScanner

//शपथ –पत्र //

मै...पिता श्री..

निवासी ....

उम्र........ शपथ पूर्वक कथन कथन करता हू कि उपरोक्त कैन्टीन किराये पर प्राप्त करने हेतु निविदा में दी गई समस्त शर्तो का पूर्ण होश–हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्ते मुझे मान्य है । एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक है । निविदा की शर्तो का पालन नही करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटि पूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा /अनुबध निरस्त की जाती है ,तो तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम—————————————

मोबाइल नं0

नोट :– उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

//चैक–लिस्ट //

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तो अनुसार निम्न दस्तावेजो को तकनीकी निविदा प्रपत्र –01 अनुसार ऑनलाइन mptender.gov.in पर सबमिट करते समय आवश्यक रुप से अपलोड किया जाना है :–

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हॉ/नहीं
01	ई.एम.डी.राशि की ई–प्रिंटेड प्रति	
02	100–150 शैयया युक्त शासकीय चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की भोजन व्यवस्था संचालन का 03 वर्ष अनुभव प्रमाणपत्र की प्रति	
03	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019–20 का टर्न ओवर न्यूनतम 06 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18,2018–19 की आयकर विवरणी	
04	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति	
05	पैन नम्बर की प्रति	
06	खाद्य एवं औषधि प्रशासन म0प्र फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार निविदिाकर्ता फर्म के जीवित पंजीयन की प्रति	
07	निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिऐ इस हेतु शपथ पत्र की प्रति	
08	प्रपत्र–04 अनुसार शपथ पत्र की प्रति	
09	जीवित गुमास्ता संबधित कार्य का होना आवश्यक है जिसकी प्रति	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम–––––––––––––––––

मोबाइल नं0

नोट :–चैक लिस्ट के सरल क्र–01 से 09 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्ही अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।